

अधिशाली अभियन्ता,
लो०नि०वि० पी०एम०जी०एस०वाई
पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में रणकोट उप्रेती मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.5375 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक- 544/9 पी०एम०जी०एस०वाई दिनांक 10-06-2016 व उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 577/एस-4-15/1(412)/2015/दि०19-06-2016।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आप उत्तराखण्ड शासन के आदेश एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों को अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, उक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु सं० 1, 2, 3 उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	क्षतिपूरक	3.075 हे०	230302/-	708178/-
2	रिक्त पडे आस पास उचित वृक्षारोपण	2.250 कि०मी०	345312/-	776952/-
3	एन०पी०वी०	1.5375	699000 /-(ईको क्लास Vi) घनत्व 0.3	1074712/-

कृपया उक्त डिमान्ड आन लाइन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सहायक अभियन्ता (नोडल वनभूमि) / महोदय

अग्नि आवश्यक सचिवालय में

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Division
P.W.D. Pithoragarh
Code No 19/19

प्रशासकीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।